



क्रम लेख ?	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>(1)हरिलाल महतो, पिता स्व० लालमन महतो (2)बुन्दिया देवी, पति हरिलाल महतो, ग्राम-भलुवा, थाना-विष्णुगढ़, पोस्ट-नवादा, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-विष्णुगढ़, ग्राम-चेडरा, थाना नं०-218, खाता संख्या-51, प्लॉट संख्या-1047, 1047 क्रमशः रकवा 04डी०, 05डी० कुल रकवा-09 डी० भूमि पनवा देवी, पति महेश महतो, ग्राम-भलुवा, थाना-विष्णुगढ़, पोस्ट-नवादा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या- 72/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-261/रा० दिनांक-18.01. 2022 द्वारा अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ हजारीबाग के पत्रांक 224 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि बकास्त खाते की है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 6.62 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 09 डी० है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-19/IX पर रकवा-04 डी० हरिलाल महतो एवं 64/X पर रकवा-05 डी० बुन्दिया देवी के नाम से कायम है। वर्ष 2023-24 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् अन्य खाता में अवशेष रकवा 1.83 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के दिखानी तारीख
1	2	3
	<p>अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1)हरिलाल महतो, पिता स्व0 लालमन महतो (2)बुद्धिया देवी, पति हरिलाल महतो, ग्राम-भलुवा, थाना-विष्णुगढ़, पोस्ट-नवादा, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-विष्णुगढ़, ग्राम-चेहरा, थाना नं0-218, खाता संख्या-51, प्लॉट संख्या-1047, 1047 क्रमशः रकवा 04डी0, 05डी0 कुल रकवा-09 डी0 भूमि पनवा देवी, पति महेश महतो, ग्राम-भलुवा, थाना-विष्णुगढ़, पोस्ट-नवादा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता,  हजारीबाग।</p> <p>अपर समाहर्ता,  हजारीबाग।</p>	